CENTRE FOR AMBITION

(An Institute for Civil Services)

समसामयिकी

अक्टूबर–2018

VOL. -II

जस्टिस वर्मा समिति द्वारा यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव की सिफारिश

केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर रुडमज्वव अभियान के बाद कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानूनी और संस्थागत ढाँचे को देखने के लिये न्यायाध ीशों का एक पैनल स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मी टू अभियान के विस्तार को देखते हुए मामले की गंभीरता से जाँच के लिये जाने–माने कानूनविदों की समिति गठित करने का फैसला लिया है।
- सरकार एक 'तथ्य–खोज आयोग' नियुक्त करेगी जो सार्वजनिक सुनवाई करेगा। पीड़ित महिलाएँ समिति के सामने गवाही भी दे सकती हैं। इसके बाद, समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की व्यापक प्रकृति के कारणों और परिणामों की पहचान करेगी जो कानून में बदलाव का कारण बन सकता है।
- हालाँकि वर्ष 2013 की शुरुआत में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति ने लैंगिक कानूनों पर सौपी गई अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक में महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की बजाय राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी।
- इस समिति का गठन 16 दिसंबर के निर्भया गैंगरेप और उसके प्रतिरोध में हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ था तथा 23 जनवरी, 2013 को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जमा कर दी गई थी।
- न्यायमूर्ति लीला सेठ और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम समेत, न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने यौन उत्पीड़न विधेयक को 'असंतोषजनक' बताया था और कहा था कि यह विशाखा दिशानिर्देशों की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- विशाखा दिशानिर्देश कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा तैयार किया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया था कि तत्कालीन प्रस्तावित कानून के तहत निर्धारित एक आंतरिक शिकायत समिति 'अनुत्पादक' होगी क्योंकि ऐसी आंतरिक शिकायतों से निपटने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित किया जा सकता है।
- इसके बजाय समिति ने सभी शिकायतों को प्राप्त करने और निर्णय लेने के लिये रोजगार अधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा था।
- शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिये न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने प्रस्तावित किया था कि अधिकरण को सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने के लिये वे अपनी प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।

नियोक्ता पर दायित्व

- समिति ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए किसी भी 'अवांछित व्यवहार' को शिकायतकर्त्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिये।

- वर्मा समिति ने कहा था कि यदि एक नियोक्ता यौन उत्पीड़न को प्रोत्साहन देता है, ऐसे माहौल की अनुमति देता है जहाँ यौन दुर्व्यवहार व्यापक और व्यवस्थित हो जाता है, जहाँ नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति का खुलासा करने और जिस तरीके से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस में विफल रहता है, साथ ही ट्रिब्यूनल को शिकायत अग्रेषित करने में विफल रहता है तो इसके लिये नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कंपनी शिकायतकर्त्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगी।?
- समिति ने महिलाओं को आगे आने और शिकायत दर्ज करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कई सुझाव भी दिये थे। मिसाल के तौर पर, समिति ने झूठी शिकायतों के लिये महिलाओं को दंडित करने का विरोध किया और इसे 'कानून के उद्देश्य को खत्म करने से प्रेरित एक अपमानजनक प्रावधान' कहा।
- वर्मा समिति ने यह भी कहा था कि शिकायत दर्ज करने के लिये तीन महीने की समय सीमा को समाप्त किया जाना चाहिये और शिकायतकर्त्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये।

आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगाँठ

21 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

प्रमुख बिंदु

- 75 साल पहले वर्ष 1943 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद (जिसे अरजी हुकुमत–ए–आजाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है) के रूप में अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी।
- इसे इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इतालवी सोशल रिपब्लिक और उनके सहयोगियों की रुवीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त था।
- इस सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी ने द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्तरार्द्ध के दौरान निर्वासन में अस्थायी सरकार के ध्वज के तहत ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने के लिये संघर्ष शुरू किया था।

पृष्ठभूमि

- सुभाष चंद्र बोस को इस बात का दृढ़ विश्वास था कि सशस्त्र संघर्ष ही भारत को स्वतंत्र करने का एकमात्र तरीका है। 1920 और 1930 के दशक में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता रहे, 1938–1939 में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ रहे थे लेकिन महात्मा गांधी और कॉन्ग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेदों के बाद उन्हें हटा दिया गया।
- उनकी अस्थायी सरकार के अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय एकजुट हो गए थे। इंडियन नेशनल आर्मी ने मलाया (वर्तमान में मलेशिया) और बर्मा (अब म्याँमार) में रहने वाले प्रवासी भारतीयों, पूर्व कैदियों और हजारों स्वयंसेवक नागरिकों को आकर्षित किया।
- अस्थायी सरकार के तहत, बोस राज्य के मुखिया, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला संगठन की अध्यक्षता की, जबकि एस.ए. अय्यर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त किया गया था।
- जापानी कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अस्थायी सरकार बनाई गई थी। 1945 में अंग्रेजों द्वारा इन द्वीपों पर पुनः कब्जा कर लिया गया था।
- बोस की मौत आजाद हिंद आंदोलन के अंत के रूप में देखी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध भी 1945 में रुवीय शक्तियों की हार के साथ समाप्त हुआ।
- निश्चित रूप से आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की भूमिका स्वतंत्रता के लिये

भारत के संघर्ष को प्रोत्साहन देने में महत्त्वपूर्ण रही थी।

श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार

हाल ही में भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद (Indian Council of Food and Agriculture-ICFA) ने गुजरात को 'श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार' से सम्मानित किया। गुजरात को यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित '11 वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार – 2018' के दौरान दिया गया।

कृषि को बेहतर बनाने के लिये गुजरात की पहल

- गुजरात ने बेहतर कृषि प्रणाली और इसके लिये जागरूकता फैलाने की दिशा में कई पहलों को अपनाया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रयास हैं–
  - कृषि महोत्सव
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड
  - जल संरक्षण
  - सूक्ष्म सिंचाई
  - बागवानी
  - फसल पश्चात् प्रबंधन
  - डेयरी और पशुपालन
- इसके अलावा यह राज्य कपास की फसल (राज्य की सबसे बड़ी खरीफ फसल) में गुलाबी–बॉलवार्म के खतरे से निपटने में भी सफल रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में गुजरात ने कृषि के लिये ड्रोन सर्वेक्षण के अलावा उपग्रह इमेजरी और जीआईएम मैपिंग के क्षेत्रों में पहल की है।
- 11वाँ वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार– 2018
- 2018 को 11वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन और नेतृत्व पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "पालिसी लीडरशिप" श्रेणी में वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया।

सम्मेलन का उद्देश्य

- नीतिगत सुधारों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से भारतीय किसानों को सर्वोत्तम विपणन मॉडल और संपर्क प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय तथा वैश्विक विपणन परिदृश्य एवं सफलता हेतु मॉडल पर चर्चा करना।
- भारत और वैश्विक स्तर पर किसानों द्वारा सामना किये जाने वाले विपणन मुद्दों और चुनौतियों जैसे– व्यापार और विपणन तक पहुँच, इक्विटी का मुद्दा तथा कृषि मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में उभरते रुझान पर चर्चा करना।
- राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि के लिये नीति, व्यापार और बाजार दृष्टिकोण पर चर्चा करना, कृषि स्टार्ट–अप तथा किसान संगठनों के माध्यम से किसानों के लिये अवसर पैदा करके इस मुद्दे को हल करना।
- बेहतर विपणन विकल्पों के साथ किसानों की सहायता के लिये एफपीओ, कृषि व्यवसाय, स्टार्ट–अप उद्यम और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्यों, उद्योगों तथा संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करना।
- जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, साझेदारी के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता तथा बाजार में किसानों की आय बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की आवश्यकता पर चर्चा करना।

कृषि नेतृत्व पुरस्कार, 2018

- यह पुरस्कार किसानों की समस्याओं का समाधान तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं कृषि के विकास में योगदान के लिये दिया जाता है।
- वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, इस पुरस्कार के द्वारा किसानों के

सशक्तीकरण के लिये कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है।

- इस पुरस्कार के विजेता का चुनाव महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली जूरी द्वारा किया जाता है।

सरकार ने अधिसूचित किये नागरिकता संबंधी नियम

गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि सात राज्यों के कुछ जिलों के संग्राहक भारत में रहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरिकता और प्राकृतिक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये कलेक्टरों को शक्तियाँ दी हैं।
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची 1 भी बदल दिया।
- नए नियमों के तहत भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर नागरिकता की मांग करते समय अपने धर्म के बारे में घोषणा करना अनिवार्य होगा–
- भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले किसी व्यक्ति के लिये।
- भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता–पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
- ऐसा व्यक्ति जिसके माता–पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो।
- ध्यातव्य है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। यह अधिनियम पाँच तरीकों से नागरिकता प्रदान करता हैः जन्म, वंश, पंजीकरण, नैसर्गिक और देशीयकरण के आधार पर।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016

- नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये पारित किया गया था।
- नागरिकता संशोधन विधेयक–2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास जरूरी दस्तावेज हों या नहीं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिये अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है, जब वह आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें।
- भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India -OCI) कार्डधारक यदि किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 से संबंधित समस्याएँ
- यह संशोधन पड़ोसी देशों से आने वाले मुस्लिम लोगों को ही 'अवैध प्रवासी' मानता है, जबकि लगभग अन्य सभी लोगों को इस परिभाषा के दायरे से बाहर कर देता है। इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

- यह विधेयक किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर ब्ब् पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा व्यापक आधार है जिसमें मामूली अपराधों सहित कई प्रकार के उल्लंघन शामिल हो सकते हैं (जैसे नो पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग)।

प्रस्तावित संशोधन

- नियंत्रण और संशोधनः ओसीआई कार्ड के पंजीकरण को रद्द करने के लिये केंद्र सरकार को दी गई विस्तृत शक्तियों को कम करना या एक समिति या एक लोकपाल नियुक्त करके नियंत्रण और संशोधन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

- धर्म को आधार न माना जाएः केवल धर्म के आधार पर आप्रवासियों को निवास में 12 के स्थान पर 6 साल की छूट देने को हटाया जा सकता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के विचार के खिलाफ है।

- शरणार्थीः शरणार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय समस्या को ध्यान में रखते हुए शरणार्थियों की स्थिति और वे किस स्थिति में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, को देखना जरूरी है। शरणार्थी और एक आप्रवासी के बीच स्पष्ट सीमा तय करना आवश्यक है।

- कानून को लागू करने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये और सभी को न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये पूरी कोशिश की जानी चाहिये। अतीत में भी भारत ने उन शरणार्थियों को आश्रय दिया है, जिन्हें उनकी भाषा (श्रीलंका में तमिल) के कारण सताया जा रहा था। इस बिल में ऐसे अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं, इसलिये धार्मिक अल्पसंख्यकों की बजाय 'सताए गए अल्पसंख्यक' शब्द को शामिल करके कानून के दायरे को विस्तारित करना आवश्यक है।

अवैध आप्रवासी

- नागरिकता अधिनियम (1955) के अनुसार, एक अवैध आप्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत में बिना वैध वीजा के प्रवेश करता है या वीजा परमिट की समाप्ति के बाद भी देश में रहता है।

- इसके अलावा, ऐसे आप्रवासी को भी अवैध माना जाता है जो आप्रवासन प्रक्रिया के लिये झूठे दस्तावेजों का उपयोग करता है।

भारत के विदेशी नागरिक

- ऐसे विदेशी हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिये, वे पूर्व भारतीय नागरिक या मौजूदा भारतीय नागरिक के बच्चे हो सकते हैं।

- बहुउद्देश्यीय, एकाधिक प्रविष्टियों और एक आजीवन वीजा के हकदार हैं, जो उन्हें किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिये भारत आने की इजाजत देता है।

प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता

- प्राकृतिककरण द्वारा केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को (एक अवैध प्रवासी नहीं है) प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हैंः

- वह किसी भी देश का विषय या नागरिकताा नहीं है जहाँ भारत के नागरिकों को प्राकृतिककरण के द्वारा उस देश के विषयों या नागरिक बनने से रोका जाता है।

- यदि वह किसी देश का नागरिक है और वह उस देश की नागरिकता को त्यागने का प्रयास करता है

अनुच्छेद 14

- कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों (दुश्मन देश के नागरिक को छोड़कर) दोनों के लिये उपलब्ध है।

'सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान' (इम्प्रेस)

➢ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में 'सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान' (Impactful Policy Research in Social Science -IMPRESS) कार्यक्रम का वेब पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख विशेषताएँ

➢ इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने और नीति बनाने के लिये 2 वर्षों में 1500 अनुसंधान प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे।

➢ 414 करोड़ रुपए की कुल लागत से मार्च 2021 तक इस योजना का संचालन किया जाएगा और अगले साल जनवरी से इसके संबंध में कार्य शुरू हो जाएगा।

➢ समाज की प्रगति के लिये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अनिवार्य है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये गए अनुसंधान का इस्तेमाल उन समस्याओं के समाधान के लिये किया जाएगा, जिनका सामना समाज को करना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि

➢ सरकार ने अगस्त, 2018 में 31.03.2021 तक कार्यान्वित करने के लिये 414 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 'सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान' कार्यक्रम को मंजूरी दी थी और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया था।

कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य

➢ शासन और समाज पर अधिकतम असर डालने वाले सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान और उसके लिये धन प्रदान करना।

11 प्रमुख विषय क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना जैसे–

- राज्य और लोकतंत्र
- शहरी रूपांतरण
- मीडिया
- संस्कृति और समाज
- रोजगार
- कौशल और ग्रामीण रूपांतरण
- शासन
- नवाचार और सार्वजनिक नीति
- विकास
- वृहद् व्यापार एवं आर्थिक नीति
- कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और पर्यावरण
- विज्ञान और शिक्षा
- सामाजिक मीडिया और प्रौद्योगिकी
- राजनीति, विधि और अर्थशास्त्र

➢ परियोजनाओं का चयन ऑनलाइन पद्धति से पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया के जरिये सुनिश्चित करना।

➢ सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12 (बी) का दर्जा प्रदत्त प्राइवेट संस्थानों सहित देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान अनुसंधानकर्त्ताओं के लिये अवसर प्रदान करना।

➢ ICSSR (Indian Council of Social Science and Research) वित्तपोषित/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान भी निर्दिष्ट विषयों और उपविषयों में अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

भारत, जापान, यू.एस. संयुक्त वायु अभ्यास

भारत, जापान और अमेरिका द्विपक्षीय 'कोप इंडिया' वायु अभ्यास को एक त्रिपक्षीय प्रारूप में आगे बढ़ाने के लिये तैयार हैं। विस्तारित मालाबार नौसेना अभ्यास के तहत ये तीनों देश पहले से ही नेवल वार गेम्स आयोजित करते रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- यू.एस. ने भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय वायु अभ्यास के आयोजन का प्रस्ताव दिया था जिसे कोप इंडिया अभ्यास चरणों में त्रिपक्षीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।
- आरंभ में यह त्रिपक्षीय प्रारूप में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जुड़ा एक छोटे स्तर का अभ्यास होगा और बाद के संस्करणों में इसे बढ़ाया जाएगा।

जापान भेजेगा अपने पर्यवेक्षक

- अगस्त में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके जापानी समकक्ष इत्सुनोरी ओनोदेरा के बीच वार्षिक रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि जापान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया अभ्यास के अगले दौर के लिये पर्यवेक्षकों को भेजेगा।
- द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय दोनों अभ्यासों में अंतःक्रियाशीलता का स्तर बढ़ाने के लिये भारत तथा यू.एस. के बीच संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है।

'कोप इंडिया' अभ्यास

- 'कोप इंडिया' भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास की एक श्रृंखला है।
- कई महीने की तैयारी के पश्चात् इस तरह का पहला अभ्यास 16 फरवरी से 27 फरवरी, 2004 के बीच ग्वालियर में वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास में उड़ान परीक्षण, अभ्यास और प्रदर्शन के साथ–साथ विमानन से संबंधित विषयों पर व्याख्यान भी शामिल थे।

सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्ध्स देशों के बीच समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के करार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। 3 अगस्त, 2018 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन के जरिये भारत सहित सभी प्रतिभागी देशों ने श्रम कानून बनाने, उसे लागू करने तथा असुरक्षित श्रमिक वर्ग का खास ध्यान रखते हुए श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने, रोजगार और श्रम बाजार नीतियों, रोजगारपरक शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग किये जाने पर सहमति जताई है।
- सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सहयोग के लिये ब्रिक्स देशों के श्रम अनुसंधान संस्थानों और सामाजिक सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- यह समझौता ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है, इसलिये इससे जुड़े पक्षों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की बाध्यता नहीं है।

इस समझौते के क्या प्रभाव होंगे?

- नई औद्योगिक क्रांति के दौर में यह समझौता ब्रिक्स के सदस्य देशों को समग्र विकास तथा साझा समृद्धि के समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये

सहयोग, साझेदारी और बेहतर तालमेल के लिये सक्षम कार्य प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

- यह सदस्य देशों को श्रम और रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने और इनसे जुड़ी जानकारियों को साझा करने में भी मददगार होगा।
- इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इनमें भारत का वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान भी शामिल है।
- इस नेटवर्क के जरिये युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और रोजगार के नए अवसरों का पता लगाने के लिये अनुसंधान कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- इसके माध्यम से क्षमता विकास, सूचनाओं के आदान–प्रदान, वर्चुअल नेटवर्क और सीखने की नई तकनीकों का पता लगाने हेतु सहयोग को और मजबूत किया जा सकेगा।
- ब्रिक्स का सामाजिक सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क सदस्य देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े करारों को और बेहतर बनाने में सहयोग करेगा।

पृष्ठभूमि

- ब्रिक्स देशों के एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त, 2018 तक और ब्रिक्स के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2 से 3 अगस्त, 2018 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित की गई थी।
- इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और समझौता ज्ञापन के मसौदे पर चर्चा की गई।
- समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं में सामाजिक और श्रम क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और आपसी विचार–विमर्श के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों की बैठकों और सम्मेलनों के आयोजनों में सहयोग के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है।

भारत और बांग्लादेश : अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग समझौता

भारत और बांग्लादेश ने व्यापार के क्षेत्र और जहाजों के आवागमन के लिये दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय तथा तटीय जलमार्ग संपर्क बढ़ाने के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण समझौते किये हैं।

मुख्य बिंदु

- दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोन्गला गोदियों को भारत से आने वाले और भारत को भेजे जाने वाले सामान के आवागमन के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसके अलावा, यात्रियों के आने–जाने और नौवहन सेवाओं के लिये भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस प्रक्रिया के लिये तटीय नौवहन मार्गों और अंतर्देशीय मार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही कोलकाता–ढाका–गुवाहाटी–जोरहट के बीच नौवहन यात्राएँ शुरू की जाएंगी।
- साथ ही इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि एक संयुक्त तकनीकी समिति अरिचा तक ढुलियान–राजशाही प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन की तकनीकी व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी।
- इसके अलावा, भागीरथी नदी पर जांगीपुर नौवहन क्षेत्र को दोबारा खोलने पर भी विचार किया जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा का पानी साझा करने संबंधी संधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

- दोनों पक्षों ने जोगीघोपा के विकास के प्रति भी सहमति व्यक्त की। इसके तहत जोगीघोपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और भूटान के लिये सामान के आवागमन के संबंध में टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल किया जाना है।

भारत के लिये बांग्लादेश का महत्त्व

- बांग्लादेश भारत का महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है एवं विभिन्न उतार–चढ़ाव भरे संबंधों के बावजूद अनेक कारणों से बांग्लादेश अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक सदैव भारत के लिये प्रासंगिक रहा है, जो कि प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं:
- बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्य भूमि तक संपर्क मार्ग प्रदान कर 'सिलीगुड़ी गलियारे' पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है।
- भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को मूर्तरूप देने में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- बांग्लादेश, भूटान, इंडिया व नेपाल मोटर वाहन समझौते (BBIN-MV) में जहाँ बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है वहीं वह SAARC, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौतों में प्रमुख भागीदार है। अतः इस प्रकार क्षेत्रीय शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में अहम सहयोगी है। वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव एवं कट्टरपंथी शक्तियों का मुकाबला करने में भारत का सहयोग कर सकता है।
- ब्ल्यू इकॉनमी और मेरीटाइम डोमेन की सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश भारत के लिये काफी महत्वपूर्ण है।

भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहयोग समझौता

हाल ही में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस उच्चस्तरीय बैठक में चीन का प्रतिनिधित्त्व वहाँ के स्टेट काउंसिलर एवं सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री श्री झाओ केझी तथा भारत का प्रतिनिधित्त्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
- द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रथम उच्चस्तरीय बैठक के दौरान पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।
- इन मुद्दों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये द्विपक्षीय सहयोग करना भी शामिल है।

सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत के गृह मंत्रालय और चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता हुआ। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर यह पहला समझौता है।

समझौते से लाभ

- इस समझौते से आतंकवाद एवं संगठित अपराधों की समस्या से निपटने से संबंधित चर्चाओं एवं आपसी सहयोग में और ज्यादा वृद्धि होगी।
- इसी तरह इस समझौते से दवा नियंत्रण और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में भी आपसी चर्चाओं के साथ–साथ सहयोग बढ़ेगा।

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2018

हाल ही में विश्व बैंक ने इंडोनेशिया (बाली) में वर्ल्ड डेवलेपमेंट रिपोर्ट 2019 के एक भाग के रूप में अपना पहला नया ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अर्थात् मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। इस इंडेक्स की रैंकिंग मानव पूंजी विकास के संदर्भ में देशों की सफलता के आधार पर निर्धारित की गई है। इस इंडेक्स में भारत 0.44 अंकों के साथ 115वें स्थान पर (157 देशों में) है। भारत का स्थान नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से भी नीचे है।

ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है ?

- इस इंडेक्स को विश्व बैंक के मौजूदा व्यापारिक सूचकांक अर्थात् डूइंग बिजनेस इंडेक्स के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि राष्ट्रीय व्यापार स्थितियों का आकलन करता है। इसी के आधार पर कोई देश अपने नागरिकों की देखभाल कैसे करता है, को केंद्र बिंदु मानते हुए समान रैंकिंग तैयार की गई है।
- इस इंडेक्स के अंतर्गत बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानकों के आधार पर 157 देशों का आकलन किया जाता है।
- इस इंडेक्स को 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर तथा उनके विकास की दर, 18 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा और 15 साल के किशोरों के 60 साल तक जीवित रहने की संभावना जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया गया है।

शीर्ष 5 में शामिल देश

- सिंगापुर
- दक्षिण कोरिया
- जापान
- हांग कांग
- फिनलैंड

सबसे नीचे के 5 स्थानों में शामिल देश

- चाड
- दक्षिण सूडान
- नाइजर
- माली
- लाइबेरिया

भारत के लिये HCI अवलोकन

- पिछले पाँच वर्षों में भारत में एचसीआई घटकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 5 साल की आयु वर्ग के जीवित रहने की संभावना पर विचार करें तो भारत में पैदा हुए प्रत्येक 100 बच्चों में से 96 बच्चे ही 5 साल की आयु तक जीवित रहते है।
- यदि स्कूली शिक्षा की बात करें तो भारत में 4 साल की आयु में स्कूल शुरू करने वाले बच्चे अपने 18वें जन्मदिन तक अनुमानतः 10.2 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं।
- वयस्क जीवन रक्षा दर के संबंध में बात करें तो ज्ञात होता है कि देश में 15 वर्ष की आयु के केवल 83 प्रतिशत बालकों के 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की उम्मीद है।
- इसी क्रम में यदि स्वस्थ विकास के मुद्दे पर विचार करें तो प्रत्येक 100 बच्चों में से केवल 62 स्टंट कुपोषित अथवा अल्प–पोषण के शिकार नहीं पाए गए। स्पष्ट रूप से प्रत्येक 100 में से 38 बच्चे कुपोषित हैं।
- लिंग विभेद के संबंध में इंडेक्स में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति (HCI के संदर्भ में) थोड़ी बेहतर बताई गई है।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 19वीं बैठक

हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council&FSDC) की 19वीं बैठक संपन्न हुई।

- इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की।
- परिषद की इस बैठक के दौरान वास्तविक ब्याज दर, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा म्युचुअल फंड में क्षेत्रवार तरलता स्थिति जैसे अनेक विषयों

पर चर्चा हुई। इस संबंध में परिषद ने निर्णय लिया कि नियामक संस्था और सरकार स्थिति पर निगरानी रखेगी और सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

- FSDC की इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल, वित्त और राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख अढिया, सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी एवं बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुंटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- FSDC की बैठक में वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस टीम के गठन में प्रगति सहित वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने पर भी चर्चा की गई।
- उल्लेखनीय है कि परिषद ने वित्तीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सूचना ढाँचे की पहचान करने और उसे प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। परिषद ने गुप्त (क्रिप्टो) परिसंपत्ति/मुद्रा की चुनौतियों पर भी चर्चा की।
- परिषद को इस विषय पर सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में उच्च समिति द्वारा की गई चर्चा की जानकारी दी गई ताकि निजी क्रिप्टो मुद्रा पर पाबंदी के लिये उचित कानूनी ढाँचा तैयार किया जा सके और 2018–19 के बजट में घोषित वितरित खाता टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council & FSDC) का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है।
- इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष, पी.एफ.आर.डी.ए. के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है।

यह क्या कार्य करता है?

- परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर–नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे–छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है।
- इसके अतिरिक्त इस परिषद को अपनी गतिविधियों के लिये अलग से कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है।

ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गए थे।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है :
  - वायु की गुणवत्ता
  - जल
  - जैव विविधता
  - जलवायु परिवर्तन
  - कचरा प्रबंधन
- सतत् विकास और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 2030 का एजेंडा लागू करना।
- प्रतिभागियों द्वारा आम सहमति वाले अन्य क्षेत्रों में सहयोग।

लाभ :

- समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच हिस्सेदारी, परस्पर आदान–प्रदान व समान हितों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिये दीर्घावधि सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- परस्पर सहयोग की इस व्यवस्था में संबंधित देशों में लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।
- पर्यावरण को लेकर चिंता सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे पाँच बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण को बचाने, उसे संरक्षित करने और उसके टिकाऊपन के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करती है।
- इससे ब्रिक्स देशों के सरकारी और निजी क्षेत्र को सतत् विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में परस्पर अपने बेहतरीन अनुभवों, तकनीकी ज्ञान और काम करने के तौर–तरीकों को साझा करने का अवसर मिलेगा।

जल कीटाणुरोधी प्रणाली 'ओनीर'

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (CSIR-IITR), लखनऊ ने ट्रेडमार्क 'ओनीर' (Oneer TM) के तहत एक अभिनव प्रौद्योगिकी 'पेयजल कीटाणुशोधन प्रणाली' विकसित की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह प्रणाली जल का निरंतर उपचार करती है और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, सिस्ट आदि को नष्ट करती है ताकि घरेलू एवं सामुदायिक पेयजल के लिये (BIS, WHO आदि द्वारा) निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
- यह प्रौद्योगिकी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये काफी मददगार साबित होगी क्योंकि यह सौर ऊर्जा से संचालित हो सकती है।
- इसका विकास 'मेक इन इंडिया' मिशन के तहत किया गया है।

भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की स्थापना 1965 में हुई।
- यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संघटक प्रयोगशाला है।
- IITR विषविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में शोध संचालित करती है। इसमें औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी रसायनों के मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव एवं वायु,जल एवं मिट्टी में प्रदूषकों प्रभाव संबंधी शोध सम्मिलित हैं।

IITR के उद्देश्य

- उद्योग, कृषि एवं दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों की सुरक्षात्मकता का मूल्यांकन करना।
- विषाक्त रसायनों/प्रदूषकों की क्रिया विधि को निर्धारित करना।
- प्रदूषकों से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उपचारात्मक/निवारक उपायों का सुझाव देना।
- रसायन उद्योगों, खानों, कृषि क्षेत्रों एवं पर्यावरण में जोखिम के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों की पहचान करना।
- विभिन्न रसायनों के कारण उत्पन्न विकारों की सहज/शीघ्र नैदानिक जाँच करना।
- विषाक्त रसायनों की सूचना का संग्रहण, भंडारण एवं प्रसार करना।

- औद्योगिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्यांओं से निपटने हेतु मानव संसाधन विकसित करना।

- रसायनों, योज्य तथा उत्पादों की सुरक्षा/विषाक्तता के संदर्भ में प्रश्नों और चिंताओं हेतु चर्चा करने के लिये जनता और उद्यमियों को मंच उपलब्ध कराना।

ग्रामीण सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश के गाँव सर्वाधिक विकसित

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के मुताबिक कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित कुलिगोद देश का सबसे विकसित गाँव है। सर्वेक्षण के मुताबिक शीर्ष 10 विकसित गाँवों में से एक–तिहाई से अधिक आंध्र प्रदेश में हैं।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के कई ग्राम पंचायतों को समान स्कोर प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार एक ही रैंकिंग में आबद्ध शीर्ष 10 की रैंकिंग में 97 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 37 आंध्र प्रदेश में हैं, जबकि 24 तमिलनाडु में हैं।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय अभिसरण योजना के तहत 1.6 लाख से अधिक पंचायतों के 3.5 लाख से अधिक गाँवों का एक अंतराल (gap) विश्लेषण किया है।

- अधिकारियों की एक टीम ने बुनियादी ढाँचा, आर्थिक विकास और आजीविका, सिंचाई सुविधाएँ, स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित मानकों का उपयोग करके गाँव स्तर की सुविधाओं का सर्वेक्षण किया तथा इन मानकों के आधार पर स्कोर किया है।

- अक्तूबर 2017 में 50,000 ग्राम पंचायतों में शुरुआती बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया था, इस साल नवंबर माह के अंत तक देश के 2.5 लाख पंचायतों को कवर किये जाने की उम्मीद है।

- राष्ट्रीय स्तर पर डेटा कुछ क्षेत्रों में प्रगति दिखाता है और कुछ अन्य सरकारी योजनाओं के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में विसंगतियों पर प्रकाश डालता है।

- उदाहरण के लिये सर्वेक्षण से पता चलता है कि 95% से अधिक गाँवों में घरेलू उपयोग के लिये बिजली उपलब्ध है, जबकि सरकार ने इस साल के आरंभ में दावा किया था कि 100% गाँवों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं।

- इसी प्रकार स्वच्छता के संबंध में, सर्वेक्षण में केवल 58% गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बताया गया है। अर्थात् सर्वेक्षण किये गए 3.5 लाख गाँवों में से केवल 2 लाख से अधिक गाँव खुले में शौच से मुक्त (ODF) हैं।

- हालाँकि, स्वच्छ भारत अभियान–ग्रामीण के अनुसार, भारत के 6 लाख गाँवों में से 5.13 लाख गाँव पहले ही खुले में शौच से मुक्त हैं।

- सर्वेक्षण में 21% गाँवों को समुदाय अपशिष्ट निपटान प्रणाली (community waste disposal system) वाले गाँवों के रूप में दिखाया गया है।

- सर्वेक्षण के अनुसार, एक–चौथाई से अधिक गाँवों में एलपीजी या बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने वाले लगभग 75 प्रतिशत से अधिक परिवार हैं।

- सर्वेक्षण ग्रामीण आवास योजना में मामूली प्रगति का संकेत देता है। 10 प्रतिशत से कम गाँवों में 80 प्रतिशत से अधिक घर ऐसे हैं जिनकी कच्ची दीवारें तथा छतें हैं, जो अस्थायी संरचनाओं का संकेत देते हैं।

- 73 प्रतिशत से अधिक गाँव सभी मौसमों में जुड़ने के लिये सड़कों से युक्त हैं।

- वित्तीय समावेशन की प्रगति अभी धीमी है। सर्वेक्षण के अनुसार, बैंकों से युक्त गाँव 15 प्रतिशत से भी कम हैं, जबकि 10 प्रतिशत से अधिक गाँवों में एटीएम मशीनें मौजूद हैं।

- सर्वेक्षण के मुताबिक 26 प्रतिशत से अधिक गाँवों में डाकघर की सुविधाएँ मौजूद हैं, केवल 8 प्रतिशत गाँवों में मृदा परीक्षण केंद्र हैं तथा लगभग 12 प्रतिशत गाँवों में सरकारी बीज केंद्र हैं।
- अंतराल विश्लेषण नागरिकों और नीति निर्माताओं को राष्ट्रव्यापी रुझानों के अलावा, प्रत्येक गाँव में विकास को ट्रैक करने की अनुमति देता है।
- उदाहरण के लिये, 6970 की कुल आबादी वाला एक गाँव कुलगोड में 2011 की जनगणना के बाद सिंचाई सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, जो उस समय के 82 हेक्टेयर से बढ़कर 3,472 हेक्टेयर हो गया है।

मानवीय गतिविधियाँ, वन्यजीवन के लिये खतरा (man-animal conflict)

संदर्भ

हाल ही में WWF ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों की वजह से वन्यजीवों की आबादी में 60 प्रतिशत तथा वेटलैंड्स में 87 प्रतिशत की कमी आई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह रिपोर्ट वन्यजीवन, जंगलों, महासागरों, नदियों और जलवायु पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की भयावह तस्वीर चित्रित करती है।
- रिपोर्ट के इस संस्करण में मृदा जैव विविधता का खंड नया है। वैश्विक मृदा जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वेटलैंड्स का गायब होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।
- इस रिपोर्ट में प्राकृतिक आवास का ह्रास या कमी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक प्रजातियों से होने वाले खतरों को भी सूचीबद्ध किया गया है।
- विशेष रूप से यह कृषि और वनों की कटाई के द्वारा प्रकृति के अत्यधिक दोहन को इंगित करता है।
- WWF–इंडिया के अनुसार, दुनिया भर में 4,000 से अधिक प्रजातियों की निगरानी की गई जिसमें 1970 से 2014 के बीच 60 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
- इस रिपोर्ट में, विशेष रूप से कशेरुकी प्रजातियों की निगरानी के आँकड़े थे। जिसे स्तनधारियों, पक्षियों, मछली, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 22,000 से अधिक जनसंख्या की जानकारी वाले डेटाबेस से लिया गया था।
- WWF–इंडिया ने मृदा पारिस्थितिकी, भूमि क्षरण, आर्द्रभूमि और परागण करने वाले जीवों जैसे– मधुमक्खी पर मंडराते गंभीर खतरे की ओर भी इशारा किया है। गौरतलब है कि मधुमक्खी जैसे जीवों का मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।
- 'अग्रणी वैश्विक खाद्य फसलों' में 75 प्रतिशत से अधिक फसलें परागण करने वाले जीवों पर निर्भर रहती हैं।
- आर्थिक नजरिये से, परागण फसल उत्पादन के वैश्विक मूल्य में 237–577 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष की बढ़ोतरी करता है।

निष्कर्ष

- निश्चित रूप से वन्यजीव संरक्षण बेहद महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक पर्यावरणीय अनिवार्यता भी है, लेकिन यह भी सच है कि कम होते जा रहे जंगल अब वन्यजीवों को पूर्ण आवास प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः ऐसी नीतियाँ बनाने की जरूरत है, जिससे मनुष्य व वन्यजीव दोनों की ही सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 19वीं बैठक

हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council-FSDC) की 19वीं बैठक संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा की।
- परिषद की इस बैठक के दौरान वास्तविक ब्याज दर, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा म्युचुअल फंड में क्षेत्रवार तरलता स्थिति जैसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस संबंध में परिषद ने निर्णय लिया कि नियामक संस्था और सरकार स्थिति पर निगरानी रखेगी और सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
- FSDC की इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल, वित्त और राजस्व सचिव डॉ. हंसमुख अढिया, सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी एवं बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुंटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- FSDC की बैठक में वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में कंम्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस टीम के गठन में प्रगति सहित वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने पर भी चर्चा की गई।
- उल्लेखनीय है कि परिषद ने वित्तीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सूचना ढाँचे की पहचान करने और उसे प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। परिषद ने गुप्त (क्रिप्टो) परिसंपत्ति/मुद्रा की चुनौतियों पर भी चर्चा की।
- परिषद को इस विषय पर सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में उच्च समिति द्वारा की गई चर्चा की जानकारी दी गई ताकि निजी क्रिप्टो मुद्रा पर पाबंदी के लिये उचित कानूनी ढाँचा तैयार किया जा सके और 2018–19 के बजट में घोषित वितरित खाता टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council -FSDC) का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है।
- इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष, पी.एफ.आर.डी.ए. के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है।

यह क्या कार्य करता है?

- परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर–नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे–छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है।
- इसके अतिरिक्त इस परिषद को अपनी गतिविधियों के लिये अलग से कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है।

वैश्विक मृदा जैव विविधता (soil biodiversity) एटलस

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा तैयार वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस के अनुसार, भारत की मृदा जैव विविधता गंभीर खतरे में है।

प्रमुख बिंदु

- WWF का 'जोखिम सूचकांक या रिस्क इंडेक्स' दृ जमीन के ऊपर जैव विविधता में कमी, प्रदूषण, पोषक तत्त्वों की ओवरलोडिंग, ओवरग्रेजिंग,गहन कृषि, आग, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले खतरों को इंगित करता है।

- इस एटलस पर लाल रंग वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान, चीन, अफ्रीका और यूरोप के कई देश तथा उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं।
- ये निष्कर्ष 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट' 2018 का हिस्सा हैं। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।
- इस साल की रिपोर्ट का एक प्रमुख पहलू मृदा जैव विविधता और परागण के प्रमुख घटकों जैसे मधुमक्खियाँ, के लिये खतरा है।

मृदा जैव विविधता के घटक

- मृदा जैव विविधता में सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म प्राणीजात उदाहरण के लिये सूत्रकृमी (Nematodes) और टारडीग्रेड्स (Tardigrades), तथा सूक्ष्म–जीव (चीटियाँ, दीमक, और केंचुए) की उपस्थिति शामिल है।

भारत की स्थिति

- यह सूचकांक भारत को उन देशों के बीच दर्शाता है जिनकी मृदा जैव विविधता जोखिम के उच्चतम स्तर का सामना कर रही है।
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की परागण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 150 मिलियन मधुमक्खी कॉलोनियों की आवश्यकता थी जबकि केवल 1.2 मिलियन कॉलोनी मौजूद थीं।

वैश्विक स्थिति

- 1970 से 2014 तक मछली, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचर और सरीसृपों की आबादी में औसतन 60 प्रतिशत की कमी हुई है और इसी अवधि में ताजे पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादी में 83 प्रतिशत की कमी आई है।
- 1960 से अब तक वैश्विक पारिस्थितिकीय पदचिह्न (footprint) में 190 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर 1970 से अब तक आर्द्रभूमि की सीमा में 87 प्रतिशत की कमी हुई है।
- WWF ने अपनी रिपोर्ट में यह भी शामिल किया कि जैव विविधता में हानि के दो प्रमुख कारक प्राकृतिक संसाधनों और कृषि का अधिक शोषण थे।
- WWF के अनुसार, भारत की उच्च आबादी ने इसे पारिस्थितिक संकट के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

पारिस्थितिकी पदचिह्न

- पारिस्थितिकी पदचिह्न, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है।
- यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की क्षमता से करता है।
- इसका प्रयोग करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित जीवनशैली का अनुशरण करे तो मानवता की सहायता के लिये पृथ्वी के कितने हिस्से की जरूरत होगी।

समाधान

- उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिये, WWF ने तीन आवश्यक उपाय भी सुझाए हैं:
- जैव विविधता की पुनः प्राप्ति के लिये स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य निर्दिष्ट करना। प्रगति के मापनीय और प्रासंगिक संकेतकों का एक सेट विकसित करना। उन कार्यों के एक समूह पर सहमति, जो सामूहिक रूप से आवश्यक समयसीमा में लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' (doing business report) 2019

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' (DBR 2019) जारी की। भारत ने DBR– 2019 के 'व्यापार सुगमता सूचकांक' (Ease of Doing Business) में अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए 23 पायदान की छलांग लगाई है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के अनुसार, 2 जून, 2017 से 1 मई, 2018 के बीच रिकॉर्ड 314 नियामक सुधार हुए। दुनिया भर में 128 अर्थव्यवस्थाओं ने पर्याप्त विनियामक सुधार प्रस्तुत किये जिससे डूइंग बिजनेस द्वारा मापन में शामिल सभी क्षेत्रों में व्यवसाय करना आसान हो गया है।
- डूइंग बिजनेस 2019 में सबसे उल्लेखनीय सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ अफगानिस्तान, जिबूती, चीन, अजरबैजान, भारत, टोगो, केन्या, कोट डी आईवर (आइवरी कोस्ट), तुर्की और रवांडा हैं।
- डूइंग बिजनेस 2019 द्वारा दर्ज किये गए सभी व्यापार नियामक सुधारों में से एक–तिहाई सुधार उप–सहारा अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं में हुए। कुल 107 सुधारों के साथ उप–सहारा अफ्रीका में हुए सुधारों की संख्या एक रिकॉर्ड है।
- ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं– ब्राजील, रूसी संघ, भारत और चीन में कुल 21 सुधार हुए, जिसमें सुधार के सबसे आम क्षेत्रों– सीमा–पार व्यापार और विद्युत् उत्पादन में हुआ।
- व्यापार सुगमता सूचकांक की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ विनियामक दक्षता और गुणवत्ता की सामान्य विशेषताओं को साझा करती हैं, जिसमें निर्माण के दौरान अनिवार्य निरीक्षण, बिजली कटौती के दौरान सेवा बहाल करने के लिये स्वचालित उपकरणों का उपयोग, दिवालिया कार्यवाही में लेनदारों के लिये उपलब्ध मजबूत सुरक्षा उपायों की उपलब्धता और स्वचालित विशेषीकृत वाणिज्यिक अदालतें शामिल हैं।

भारत की स्थिति

- विश्व बैंक द्वारा 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के आकलन में 190 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 2017 के 100वें पायदान से और ऊपर चढ़कर अब 77वें पायदान पर पहुँच गया है।
- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊँची छलांग निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों में 53 पायदान और पिछले चार वर्षों में 65 पायदान ऊपर चढ़ गया।

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का महत्त्व

- 'डूइंग बिजनेस आकलन' से उन 10 पैमानों पर 190 देशों में व्यवसाय या बिजनेस संबंधी नियम–कायदों और उन पर अमल के वस्तुनिष्ठ लक्ष्यों के बारे में पता चलता है जो किसी भी व्यवसाय के समूचे कारोबारी चक्र पर असर डालते हैं।
- DBR में देशों की रैंकिंग 'डिस्टेंस टू फ्रंटियर (DTF)' के आधार पर की जाती है जो एक विशिष्ट स्कोर है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनाए जाने वाले कारोबारी तौर–तरीकों तथा वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर–तरीकों में अंतर को दर्शाता है। भारत का क्ज्थ् स्कोर जो पिछले वर्ष 60.76 था, इस वर्ष बढ़कर 67.23 हो गया है।
- भारत 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों से जुड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में कामयाब रहा है और इसके साथ ही वह 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों

पर वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर–तरीकों के और करीब पहुँच गया है।

- सबसे उल्लेखनीय सुधार 'निर्माण परमिट' और 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में देखा गया है। निर्माण परमिट की स्वीकृति देने के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 181वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 52वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 129 रैंकिंग के अभूतपूर्व सुधार को दर्शाता है।

- इसी तरह 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 146वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 80वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 66 रैंकिंग के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

जिन छह संकेतकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है वे निम्नलिखित हैं–

इस वर्ष भारत के प्रदर्शन संबंधी मुख्य बातें

1. विश्व बैंक ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत को भी शामिल किया है।
2. उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत की गिनती लगातार दूसरे वर्ष भी की गई है।
3. भारत प्रथम ब्रिक्स और दक्षिण एशियाई देश है जिसे सुधार करने वाले शीर्ष देशों में लगातार दूसरे वर्ष शामिल किया गया है।
4. भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊँची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में की गई सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।
5. प्रदर्शन में निरंतर सुधार की बदौलत भारत अब दक्षिण एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है, जबकि वर्ष 2014 में यह छठे स्थान पर था।

डूइंग बिजनेस– 2019

- 'डूइंग बिजनेस–2019: ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म' विश्व बैंक समूह का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। यह कारोबार को बढ़ाने और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले नियामकों को मापने वाली वार्षिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का 16वाँ संस्करण है।

- डूइंग बिजनेस, व्यापार नियमों और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर मात्रात्मक संकेतक प्रस्तुत करता है जिनकी तुलना अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक 190 अर्थव्यवस्थाओं के बीच की जा सकती है।

- डूइंग बिजनेस, व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। इन क्षेत्रों में से दस को इस साल की व्यापार सुगमता सूचकांक रैंकिंग में शामिल किया गया है। ये 10 क्षेत्र हैं–

- किसी व्यवसाय को शुरू करना निर्माण परमिट बिजली प्राप्त करना संपत्ति पंजीकृत करना ऋण प्राप्त करना लघु निवेशकों की रक्षा करना करों का भुगतान करना सीमा पार व्यापार अनुबंधों को लागू करना दिवालियापन की समस्या को हल करना।

- डूइंग बिजनेस में श्रम बाजार विनियमन की भी माप की जाती है लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया है।

- संकेतकों का प्रयोग आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करने के लिये तथा यह जानने के लिये किया जाता है कि किन नियमों ने कब और कैसे काम किया।

फ्लेक्सी फेअर योजना (flexi fare scheme) का पुनर्गठन

हाल ही में भारतीय रेलवे ने समीक्षा समिति की सिफारिशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और यात्रियों के प्रतिवेदन के आधार पर फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

- भारतीय रेलवे ने 9 सितंबर, 2016 से फ्लेक्सी फेअर योजना की शुरूआत की थी। इस योजना ने उच्च राजस्व एकत्र किया, हालाँकि आरंभ में यात्रियों की संख्या में गिरावट आई लेकिन बाद में इसमें तेजी देखी गई।
- रेलवे द्वारा किराये को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा की जा सके तथा इसे यात्रियों के और अनुकूल बनाया जा सके।
- पिछले वर्ष जिन 15 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासिक संख्या 50 प्रतिशत से कम थी उनमें फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है।
- पिछले वर्ष कम भीड़भाड़ वाले तीन महीनों में जिन 32 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासिक संख्या 50द्ध 75 प्रतिशत रही उनमें भी फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है।
- सभी श्रेणियों में अधिकतम किराये की वर्तमान सीमा को मूल किराये के 1.5 गुना से कम कर 1. 4 गुना कर दिया गया है।
- उन ट्रेनों, जिनमें 2एसी, 3एसी, सीसी आदि श्रेणी वाले यात्रियों की संख्या कम है और हमसफर ट्रेनें, जिनमें एक विशेष श्रेणी में यात्रियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम है (ट्रेन के निर्धारित समय पर रवाना होने से 4 दिन पहले), फ्लेक्सी फेअर के साथ सभी ट्रेनों में अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत की क्रमिक छूट दी जाएगी।
- रेलवे ने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये अपनी माल ढुलाई दर को भी तर्कसंगत बनाया है। इसके परिणामस्वरूप कोयला, लौह और इस्पात, लौह अयस्क, तथा इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे माल जैसे प्रमुख वस्तुओं हेतु माल ढुलाई में 8.75 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- कंटेनरों के ढुलाई शुल्क में 5ः की वृद्धि हुई है और अन्य छोटे सामानों की माल ढुलाई 8.75 प्रतिशत बढ़ी है। इस कदम से रेलवे को ६ 3,344 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

फ्लेक्सी फेअर योजना क्या है?

- फ्लेक्सी किराया, रेलवे द्वारा सितंबर 2016 में राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिये पेश की गई एक बढ़ती कीमत प्रणाली है।
- इसमें शुरुआत में पहली 10 प्रतिशत सीटों के लिये सामान्य किराया लागू होता है, इसके बाद प्रत्येक 10 प्रतिशत बर्थ की बुकिंग के बाद किरायों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाती है। मांग के आधार पर इसमें अधिकतम 50 फीसदी तक किराया बढ़ता है।
- सेकेंड एसी और चेयरकार के लिये अधिकतम 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है। वहीं, थर्ड एसी के लिये यह सीमा मूल किराये का 40 फीसदी अधिक होती है।

UNWTO के 109वें सत्र में भारत की भूमिका

हाल ही में पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री के.जे. अल्फोन्स ने मनामा (बहरीन) में आयोजित यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन (UNWTO) के 109वें सत्र में भाग लिया। UNWTO के एक्जीक्यूटिव काउंसिल का तीन दिवसीय सत्र 30 अक्तूबर, 2018 को शुरू हुआ जिसमें वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ मुददों पर चर्चा की जाएगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एक्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की शुरुआत में भारत के पर्यटन मंत्री के.जे. अलफोन्स ने न्छॅज्ब् सम्मेलन के 'प्रोग्राम एवं बजट कमिटी' की अध यक्षता की।
- इस सम्मेलन में भारत के पर्यटन मंत्री ने सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये पर्यटन की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की सहायता से नौकरियों का सृजन, उद्यम

एवं पर्यावरण विकास और विदेशी मुद्रा का अर्जन संभव हो सकेगा।

- कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बताया कि पहली बार UNWTO का बजट 'अधिशेष' की स्थिति में आया है एवं अधिकांश बकायों को चुकता कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त भारत के पर्यटन मंत्री अल्फोन्स, UNWTO के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर जुराब पोलोलिकासविली से भी मिले और पर्यटन के विकास तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी की स्थापना में UNWTO की भूमिका पर चर्चा की।

- भारत 2021 तक UNWTO एक्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रोग्राम एवं बजट कमिटी की अध्यक्षता करेगा।

क्या है UNWTO?

वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन, यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह उत्तरदायी, संपोषणीय और सार्वजनिक पहुँच की विशेषता रखने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।

UNWTOका मुख्यालय मैड्रिड (स्पेन) में है।

कार्य

- यह पर्यटन नीति से संबंधित मुद्दों एवं पर्यटन के बारे में जानने हेतु व्यावहारिक स्रोतों के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।

- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह पर्यटन के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देता है।

- UNWTO तकनीकी हस्तांतरण और वैश्विक सहयोग के लिये एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यटन संबंधी एथिक्स के वैश्विक कोड के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिले।

एक्जीक्यूटिव काउंसिल

- UNWTOकी एक्जीक्यूटिव काउंसिल, संगठन के प्रशासनिक निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसका कार्य सभा द्वारा लिये गए निर्णयों और सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु महासचिव के परामर्श से सभी आवश्यक उपायों को अपनाना है।

- एक्जीक्यूटिव काउंसिल का सम्मेलन एक वर्ष में कम–से–कम दो बार होता है।

- परिषद में 35 पूर्ण सदस्य होते हैं जिनका चयन सभा द्वारा इस तरीके से किया जाता है कि निष्पक्ष और समान भौगोलिक वितरण की स्थिति को प्राप्त किया जा सके।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (statue of unity)

31 अक्तूबर, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती पर 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण कर, उसे देश को सौंपा। यह पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊँची प्रतिमा मानी जा रही है।

क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध से 3.5 किमी. नीचे की तरफ, राजपिपाला के निकट साधुबेट नामक नदी द्वीप पर 182 मीटर ऊँची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई।

मुख्य बिंदु

- मात्र 33 महीनों में तैयार हुई यह प्रतिमा, चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेंपल की 11 सालों में निर्मित 153 मीटर ऊँची प्रतिमा (अब तक विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था) से भी ऊँची है और न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मी.) की ऊँचाई से करीब दोगुनी है।

- प्रतिमा के निर्माण के लिये भारत भर के किसानों से 'लोहा कैंपेन' के तहत, आवश्यक लोहे को इकट्ठा किया गया था।

- इस मूर्ति का डिजाइन पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार 'राम वनजी सुतर' ने तैयार किया था।
- प्रतिमा का निर्माण भारत की लार्सन एवं टूब्रो कंपनी तथा राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया।
- इसके निर्माण के लिये गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (SVPRET) का गठन किया था।

स्टैच्यू की विशेषता

- इस स्टैच्यू में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे। यहाँ एक गैलरी बनी हुई है जहाँ एक साथ 200 पर्यटक खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्यांचल पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नजारा भी देख सकेंगे।
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3 किमी. की दूरी पर टेंट सिटी, फूलों की घाटी और श्रेष्ठ भारत भवन नामक एक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया गया है।
- यह स्टैच्यू 180 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा और 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम होगा।
- इस प्रतिमा के अंदर सरदार पटेल का म्यूजियम भी तैयार किया गया है जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजें रखी जाएंगी।

कुछ महत्त्पूर्ण तथ्य

- प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- पटेल जयंती के अवसर पर देश के युवाओं के लिये 'रन फॉर यूनिटी' नामक दौड़ का भी आयोजन होता है।
- इस प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिये वाराणसी से गुजरात हेतु 'एकता ट्रेन यात्रा' नाम से ट्रेन चलाई गई जिसका संचालन सरदार पटेल के पैतृक गाँव करमसद तक किया गया।
- सरदार वल्लभभाई पटेल को आधुनिक 'भारत का बिस्मार्क' भी कहा जाता है।

सरदार पटेल की राजनीतिक जीवनी

- 31 अक्तूबर, 1875 को गुजरात के नडियाड में जन्मे सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पहला योगदान, 1918 में गुजरात के खेड़ा संघर्ष में दिया था।
- उन्होंने बोरसद सत्याग्रह के द्वारा बोरसद तालुका की जनता को 'हदीया' नामक एक दंडात्मक कर से मुक्त कराया।
- सरदार पटेल ने 1923 में, नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया।
- बारदोली के किसानों के लगान में सरकार द्वारा की गई वृद्धि के खिलाफ 1928 में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व पटेल ने किया जहाँ इन्हें महिलाओं ने 'सरदार' की उपाधि दी।
- 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप–प्रधानमंत्री बने तथा साथ ही गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रभार भी संभाला।
- आजादी प्राप्त होने के बाद, भारत की देशी रियासतों के राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका रही और बिना युद्ध के इन्होंने लगभग 562 देशी रिशसतों का देश में विलय कराया।
- विलय समझौते के लिये असहमत जम्मू–कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ को भी सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक समझदारी का परिचय देते हुए नवंबर 1947 तक देश में मिला लिया।